न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 52/2017 प्रार्थना पत्र

1. शांतिलाल पिता चतरु जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी बांसा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. वरदीचंद पिता चतरु जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी बांसा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
3. उदीबाई पुत्री चतरु जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी बांसा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
4. नानीबाई पुत्री चतरु जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी बांसा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
5. गीता पुत्री चतरु जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी बांसा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
6. बदाम बाई बेवा चतरु जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी बांसा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ——प्रार्थीगण

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

—विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट</u>

प्रार्थीगण की और सेः— अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार वेष्णव उपस्थित

दिनांक :- 31-5-22

आदेश

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पत्रावली का अवलोकन किया गया वाके मौजा बांसा प0ह0 फाचर अहिरान तह0 निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 211 के आराजी नं0 11/726 रकबा 0.5000 हैक्टेयर जिसके पुराने खाता नं0 1 की आराजी नं0 247/2 रकबा 2 बीघा भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की है। वर्तमान में नये सेटलमेन्ट होने के बाद प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात जो पूराने नक्षा ट्रेस मे सही रुप से तरमीम थी परन्तु वर्तमान नक्षा ट्रेस मे गलत रुप से तरमीम कर दिया है। जहां पर प्रार्थीगण काबिज है वहां पर प्रार्थीगण का नक्षा ट्रेस मे अंकन सही रुप से नही किया है। तथा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे भुदा आराजी की नवीन आराजी नं0 11/726 को गलत रुप से तरमीम कर दिया हैं। प्रार्थीगण का मौके पर अपने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार मौके पर पुराने नक्षा ट्रेस अनुसार भान्तिपुर्ण रुप से कब्जा चला आ रहा हैं उक्त आराजीयात को गलत रुप से नवीन नक्षा ट्रेस में अंकित कर दिया है। उक्त नक्षा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती से सेटलमेन्ट मे नक्षा ट्रेस में गलत अंकन कर तरमीम कर दिया है। तथा उक्त नक्षा ट्रेस मे अंकन प्रार्थीगण के मौके पर कब्जे अनुसार नही किया है। इसलिए उक्त नवीन नक्षा ट्रेस में तरमीम प्रार्थीगण के मौके पर काबिज अनुसार, अंकन कर, कब्जे अनुसार नक्षा ट्रेस मे इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी चतुरू पिता परथा डांगी के वर्ष 1987 में आराजी न0 24 में से 2 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जिसके आराजी न0 24/2 नामान्तरण संख्या 345 से डाले गये थे । आंवटित भूमि का नक्शा ट्रेस नामान्तरण पर चस्पा हैं । उक्त आवंटित की साबिक नक्शा में पेन्सिली तरमीम एंव नामान्तरण पर चस्पा तरमीम को हाल राजस्व नक्शा से मिलानेपवर हाल आराजी नम्बर 11/723 में भू प्रबंधक विभाग द्वारा तरमीम की जानी थी किन्तु भू प्रबन्धक विभाग द्वारा उक्त तरमीम आराजी न0 10 के पश्चिम में कर नया खसरा न0 11/726 रकबा 0.50 हे0 दिया गया हैं । आराजी न0 11/726 वर्तमान में आवटी के वारिसान शांन्तिलाल, वरदीचंद, उदीबाई, नानीबाई, गीता पिता चतरू मु0 बदामबाई बेवा चतरू के नाम दर्ज रेकार्ड है जो कि प्रकरण में प्रार्थीगण हैं । वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा 11/723 के पुर्व में राजस्त के पास साबिक नक्शा एंव नामान्तरण पर चस्पा तरमीम अनुसार ही कब्जे काश्त हैं । आराजी न0 11/723 रकबा 1.91 हे0 बिलानाम सरकार दर्ज हैं राजस्व रेकार्ड एंव मौका अनुसार प्रार्थीगण के नाम आराजी न0 11/723 में से रकबा 0.050 है संलग्न साबिक नक्शा एंव नामान्तरण पर चस्पा तरमीम अनुसार दर्ज किया जाना एवं प्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी न0 11/726 रकबा 0.50 हे0 भूमि को बिलानाम दर्ज किया जाना उचित हैं ।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान पुराने रिकार्ड का नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये है किन्तु प्रार्थी द्वारा नया व पुराना रिकार्ड मिलान नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईजड किया गया।

चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)